न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 216/2024**(GCMS : 2024/302)

ईक्विटास स्मॉल फाईनन्स बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 4th फ्लोर, फेज–II स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769 माउण्ट रोड़ अन्ना सलाई, चोन्नई–60002, तमिलनाडू तथा शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड़, डीसीएम, जयपुर–302019 राजस्थान

बनाम

1. **श्योपतराम पुत्र श्री तेजाराम** उम्र 48 जाति नायक, पता वार्ड संख्या 06, ग्राम नरसिंहपुरा, ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा पंचायत समिति पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान –335025 मोबाईल नं. 9782925294
2. **गौरादेवी पत्नी श्री श्योपतराम** उम्र 45 जाति नायक, पता वार्ड संख्या 06, ग्राम नरसिंहपुरा, ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा पंचायत समिति पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान –335025 मोबाईल नं. 9782925294
3. **महेन्द्र कुमार पुत्र तेजाराम** उम्र 40 जाति नायक, पता वार्ड संख्या 06, ग्राम नरसिंहपुरा, ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा पंचायत समिति पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान –335025 मोबाईल नं. 9782754179
4. मंजू देवी पत्नी महेन्द्र कुमार उम्र 39 जाति नायक, पता वार्ड संख्या 06, ग्राम नरसिंहपुरा, ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा पंचायत समिति पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान –335025 मोबाईल नं. 9782754179

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.01.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री महादेव प्रसाद मिढ़ा उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक की ओर से प्रकरण को नॉट प्रैस किये जाने का प्रार्थना की। प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. ने अप्रार्थीगण श्योपतराम, गौरा देवी, महेन्द्र कुमार एवं मंजू देवी द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी महेन्द्र कुमार की अचल **सम्पत्ति पट्टा संख्या 31, प्लॉट संख्या 221, ग्राम नरसिंहपुरा ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा पंचायत समिति पदमपुरा, जिला श्रीगंगानगर, जिसका कुल क्षेत्रफल 5100 वर्गफुट है, जिसके पूर्व में रोड़ है, पश्चिम में रामस्वरूप, उत्तर में श्योपतराम है व दक्षिण में लालचन्द है** का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:42:08 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2024 को प्रस्तुत कर रखा है और प्रार्थी बैंक ऋणी के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 23.12.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण श्योपतराम, गौरा देवी, महेन्द्र कुमार एवं मंजू देवी के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में महेन्द्र कुमार की **अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 31, प्लॉट संख्या 221, ग्राम नरसिंहपुरा ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा पंचायत समिति पदमपुरा, जिला श्रीगंगानगर, जिसका कुल क्षेत्रफल 5100 वर्गफुट है, जिसके पूर्व में रोड़ है, पश्चिम में रामस्वरूप, उत्तर में श्योपतराम है व दक्षिण में लालचन्द है,** का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का नोट प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्दअहकाम के हाशिये पर अंकित किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखिल दफ्तर हो। [illegible] बाद तक़मील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.07.202[illegible] मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:42:08 IST
Reason: SelfAttested

Manju

(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर